Annexure-I

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No. 465/26-प्रशा०अधि० (सा०प्रशा०) 2014-15 Dated 02-5-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (PL) dated 3 august 2009. Where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.351 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttrakhand (Name of user agency) for Construction of Vyasi (Rauli) to Kuneth Motor Road (5.50 km) under PMGSY (purpose for diversion of forest land) in Purvi Ameli Range of Forest Department Pauri Garhwal falls within jurisdiction of Forest Department, Pauri Garhwal village(s) in Thalisain Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.351 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), gram Sabha (s), Sub- Division level committee(s) and district level committee(s), are enclosed as annexure 1 to annexure 2.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

DM/Collector
Garhwal

Annexure-II

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No. 465/26-प्रा०सहा०(न्या०प्रा०) 2014-15 Dated 02-5-15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance4 of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that 4.351 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Dept. Uttrakhand (name of user Agency) for Construction of Vyasi(Rauli) to Kuneth Motor Road (5.50 Km) under PMGSY (purpose for diversion of forest land) in Purvi Ameli Range of Forest Department Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Forest Department, Pauri Garhwal village(s) in Thalisain tehsils.

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire 4.351 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights committe(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Commettee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2.

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.

(i) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram-Sabha(s) of Kuneth villages(s) is enclosed as annexure 1 to annexure 2.

(j) The discussion and decisions on such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram sabha present.

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(l) The rights of primitive tribal Groups and Pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3(1) (e) of the FRA.

Encl.; As Above

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
DM/Collector
Garhwal

:: प्रपत्र –30.1 ::

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT :- PAURI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandra Shekhar Bhatt, I.A.S.** Deputy Commissioner, **Pauri Garhwal** on dated 22.01.15 at **Pauri** in which application claiming rights in Mail area measuring **4.351 hectares** for the construction of **Rauli (Byasi) – Kuneth Motor Road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Thalisain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pauri

Dated: 22.01.2015

22.1.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DM/Collector
Garhwal

It is Further Certified that:- Minutes of Meeting of construction of Rauli (Byasi) to Kuneth Motor Road (Length 5.500 Km) regarding FRA is as following:-

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **4.351 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c.)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups pre- agricultural Communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.

मंगल सिंह नेगी
सदस्य जिला पंचायत 34 कैन्यूर
वि०ख० थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०) बैजरौं
मुख्यालय–सतपुली
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० बैजरौं
मुख्यालय सतपुली

22.1.15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी
पौड़ी (गढ़वाल)
जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली)–कुनैथ मोटर मार्ग (5.50किमी0) का नव निर्माण ।

(58)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली) से कुनैथ मोटर मार्ग (आरक्षित वनभूमि 4.351है0, सिविल सोयम वनभूमि 0.617है0, निजिभूमि 0.695है0 अर्थात कुल वनभूमि 5. 663 है0) का ग्राम विकास विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील थलीसैण) की दिनांक 26.12.14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक श्री एस० एस० गर्ब्याल उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1:–श्री एस० एस० गर्ब्याल उपजिलाधिकारी थलीसैण अध्यक्ष

2:–श्री एस० के० काला उप प्रभागीय वनाधिकारी थलीसैण सदस्य

3:–श्री भागवत सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी थलीसैण सदस्य

4:–श्रीमती संगीता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र व्यासी सदस्य संगीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत काराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली) से कुनैथ मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 5.663 है0, वनभूमि ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)बैजरौं, / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत नव निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी कि जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार द्वारा अनापत्ति जारी कि जा सकती है।

बैठक में सार्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत व्यासी (रौली) से कुनैथ मोटर मार्ग परियोजना के निमार्ण हेतु 5.663 है0, वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को जनहित में समक्ष प्राधीकारी से अनूमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील थलीसैण (गढ़वाल)
जनपद

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ उंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील
जनपद

2. श्री एस० के० काला उप प्रभागीय वनाधिकारी थलीसैण

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
थलीसैण

3. श्री भागवत सिंह सहा० समाज कल्याण अधिकारी थलीसैण

सहायक समाज कल्याण
अधिकारी
थलीसैण पौडी

संगीता देवी
संगीता बिष्ट
क्षेत्र पंचायत सदस्य
व्यासी, पट्टी चौन्दकोट
क्षे० पं० थलीसैण पौ० गढ़वाल

4. श्रीमती संगीता देवी बी० डी० सी० क्षेत्र व्यासी

प्रपत्र–30.3

(57)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली)–कुनैथ मोटर मार्ग (5.50 किमी0) का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– कुनैथ

तहसीलः– थलीसैंण, जिला– पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली)–कुनैथ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.351 है0, सिविल सोयम वनभूमि 0.617 है0, निजिभूमि 0.695 है0 अर्थात कुल वनभूमि 5.663 है0) वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनैथ द्वारा दिनांक 26.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)बैजरौं, द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन् नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय ले कर प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनैथ के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि 5.633 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

23/12/14

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुनैथ
न्याय पंचायत
वि.ख. थलीसैंण

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत कुनैथ
ह0 कलावती देवी
वि.ख. थलीसैंण

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदानुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र – 30.4

दिनांक 26.12.14 को ग्राम सभा की संम्पन्न बैठक की उपस्थिति.

ग्राम पंचायत–कुनैथ

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री पंचम सिंह ग्राम-मरोड़ा पूर्व (ग्राम प्रधान)	पंचम सिंह
2	श्री मंगल सिंह रावत ग्राम-मरोड़ा	मंगल सिंह
3	श्री भरत सिंह बिष्ट	Bharat
4	श्री उमराव सिंह बिष्ट	Umrd
5	श्री जसवन्त सिंह पूर्व प्रधान कुनैथ	जसवन्त सिंह
6	श्री सुरेन्द्र सिंह कुनैथ	Surendra
7	श्रीमती कलावती देवी प्रधान कुनैथ	कलावती देवी
8	श्रीमती बच्चुली देवी प्रधान मरोड़ा	बच्चुली देवी
9	श्रीमती गीता देवी कुनैथ	गीता देवी
10	श्री विनोद सिंह कुनैथ	[illegible]
11	श्री मनवर सिंह कुनैथ	[illegible]
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

ग्राम ... अधिकारी
ग्राम पंचायत कुनैथ
[illegible] 26/12/14

ह0 / –

ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत कुनैथ
ह0 कलावती देवी
दि0 ......
वि0 ख0 थलीसैण

ह0 / –

ग्राम प्रधान